समक्ष :– श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/मगरानी/बैतूल/भू.रा/2017/3917

राकेश पिता रंगलाल उम्र 35 वर्ष जाति कतिया

निवासी बाकुड़ तह0 घोड़ाडोंगरी जि.बैतूल म0प्र0

.....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

1. कविता उर्फ नीतू पिता जगन पति कृष्णा
2. सरोज पत्नी सुभाष भोरसे

दोनो निवासी ग्राम बाकुड़ तह0 घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल म0प्र0

.....गैररिवीजनकर्तागण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 भू0राजस्व संहिता 1959

//प्रकरण के तथ्य//

ग्राम बाकुड़ के कोटवारी पद हेतु उभय पक्षकारगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय घोड़ाडोंगरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रामा.कं.–01अ/56 वर्ष 2016–17 कविता विरूद्ध राकेश मे दिनांक 28.09.17 को गैररिवीजनकर्ता कं.–1 के पक्ष मे आदेश पारित किया।

उक्त आदेश के विरूद्ध रिवीजनकर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर को धारा 44 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए धारा 52 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत स्थगन आदेश प्राप्ति हेतू आवेदन प्रस्तुत किया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर द्वारा अपील प्र.कं. 05 वर्ष 2017–18 मे दिनांक 11.10.17 को रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 52 म0प्र0भू0रा0सं0 के आवेदन को निरस्त कर दिया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.17 से दुःखी व असंतुष्ट होकर रिवीजनकर्ता द्वारा यह रिवीजनय माननीय न्यायालय मे समयावधि मे प्रस्तुत कर रहा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/3917

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–11–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निकालते हुए आदेश पारित किया गया है कि ग्राम में कोटवार का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	